



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-20.01.2025

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

दिनांक 19.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.अनस पुत्र अकबर निवासी मौहल्ला आर्यपुरी कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 मोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 मोनू कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 20.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे

से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.मौहम्मद उवेर पुत्र मुबारिक निवासी पीपतलाबड़ी आल करबा व थाना कैराना जनपद शामली

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध छुरा बरामद।

दिनांक 19.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब/अवैध हथियार की बरामदगी/निर्माण/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.फैसल पुत्र अकबर निवासी ग्राम राणा माजरा थाना सनोली पानीपत हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 छुरा।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 सट्टेबाज गिरफ्तार, कब्जे से सट्टा पर्चा, पैस, नकदी बरामद:-

दिनांक 19.01.2025 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 01 सट्टेबाज को सट्टा लगाते हुये नकदी 510/- रुपये एवं एक सट्टा पर्चा, एक गत्ता व एक पैस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.सुभाष पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.नकदी 510/- रुपये।

2.एक सट्टा पर्चा,गत्ता, पैस।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 20.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1.अमित पुत्र रोहताश निवासी ग्राम कण्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सुमित पुत्र रोहताश निवासी ग्राम कण्डेला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-
 आज दिनांक 20.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 गैंगस्टर को अवैध हथियार व कारतूस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सागर पुत्र रामशरण निवासी जोहडी बिनौली जनपद बागपत ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 059/2024 धारा 342/392/411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।

2.मु0अ0सं0 062/2024 धारा 307 भादवि व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।

3.मु0अ0सं0 154/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।

4.मु0अ0सं0 12/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस 12 बोर ।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व मोटर साइकिल के पार्टस बरामद:-

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 03.01.2025 को 01 मोटर साइलकिल पैशन प्लस रजि0 UP19-0250 को अज्ञात द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में व दिनांक 14.01.2025 को मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर रजि0-UP19K3012 को अज्ञात द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

इसी क्रम आज दिनांक 20.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की 01 मोटरसाइकिल व मोटर साइकिल के पार्टस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त आरिफ थाना कोतवाली शामली का हिस्ट्रीशीटर भी है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.आरिफ पुत्र रोजूद्दीन निवासी मौहल्ला पंसारियान एकता भवन के पास थाना कोतवाली शामली जनपद शामली अपराधिक इतिहास अभियुक्त आरिफ उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 36/20 धारा 13 जी एकट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 141/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 158/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 201/21 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 378/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एकट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 399/22 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 1078/18 धारा 13 जी एकट थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

8.मु0अ0सं0 1586/18 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

9.मु0अ0सं0 1595/18 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

10.मु0अ0सं0 07/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

11.मु0अ0सं0 28/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1 चोरी की हुई मोटर साइलकिल 01 हीरो स्प्लेडन्डर रजि0 UP19K3012 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 28/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली शामली)।

2.चोरी की हुई मोटर साइकिल के पार्टस (सम्बन्धित मु0अ0सं0 07/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली शामली)



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 01 अभियुक्त को गौवध अधिनियम में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1.वर्ष 2002 में अभियुक्तगण 1.फैय्याज पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली 2.अय्यूब पुत्र बाबू निवासी करबा व थाना कांधला जनपद शामली 3.फुरकान पुत्र नूर अहमद निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 372/2002 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 20.01.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास सजा व कुल 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक पर 06-06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।